Phone & Fax:- 01376-254062

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि., चम्बा टिहरी गढवाल।
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D.
CHAMBA (TEHRI GARHWAL) PIN- 249 145
Website-http://pwd.uk.gov.in I.D.-eicpwduk@nic.in E-Mail- eepwdchamba@rediffmail.com

पत्रांकः– 2746/13 एम0जी0 दिनांक 28/11/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/21726/2015**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं. 8बी0/यू0सी0पी0/06 /64/2017/ एफ0सी0/13 दिनांक 04.04.2022 एवं पत्र सं. 8बी0/यू0सी0पी0/06/64/2017/ एफ0सी0 दिनांक 26.07.2024 एवं आपका पत्रांक 2779/12–1 दिनांक 06.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अनुपालन किया गया है :–

1– शर्त संख्या 01 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

2– शर्त संख्या 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौंपी जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

3– शर्त संख्या 03 (क) के अनुपालन में 5.985 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम नवागांव तहसील कण्डीसौड़ में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 24,41,832.00 (चौबीस लाख, इकतालीस हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) जमा कर दी गयी है।

संलग्न :– चालान की प्रति एवं **Online Payment history made by user agency chamba**

शर्त सख्या 03 (ख) के अनुपालन में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 247/XXVI-11(2013-2014) दिनांक 03 सितम्बर 2024 द्वारा 5.985 है0 सिविल भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित **(प्रति संलग्न)** तथा राजस्व उपनिरीक्षक मैण्डखाल/लवाणी तहसील कण्डीसौड़, टिहरी गढवाल द्वारा 5.985 है0 सिविल भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज/इन्द्राजी/नामान्तरित कर दी गयी है **(प्रति संलग्न)** एवं वन क्षेत्राधिकारी टिहरी रांजि द्वारा उक्त सिविल भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है **(प्रति संलग्न)**। गाईड लाइन पैरा 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रकिया पूर्ण की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

कमशः–पेज 02 पर

शर्त संख्या 03 (ग) के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

शर्त संख्या 03 (घ) के अनुपालन में रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

4– शर्त संख्या 04 के अनुपालन में प्रतिकर वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

5– बिन्दु संख्या 05 (क) के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित देय धनराशि 38,68,854.00 (अड़तीस लाख, अड़सठ हजार आठ सौ चौवन मात्र) जमा कर दी गयी है।

संलग्न :– चालान की प्रति एवं **Online Payment history made by user agency chamba**

बिन्दु संख्या 05 (ख) के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रमाण–पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

6– शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–प्रस्ताव के अनुसार 378 वृक्ष एवं 187 Saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे तथा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

7– बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 24,41,832.00 (चौबीस लाख, इकतालीस हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) एवं शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित देय धनराशि 38,68,854.00 (अड़तीस लाख, अड़सठ हजार आठ सौ चौवन मात्र) कुल धनराशि 63,10,686.00 मात्र (तिरेसठ लाख दस हजार छः सौ छियासी मात्र) पोर्टल के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

संलग्न :– चालान की प्रति एवं **Online Payment history made by user agency chamba**

8– शर्त संख्या 08 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। संलग्न :- प्रमाण - पत्र

9– शर्त संख्या 09 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण–पत्र के अनुसार किया जायेगा। संलग्न :- प्रमाण - पत्र

10– शर्त संख्या 10 के अनुपालन में आर0ई0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायी जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रमाण–पत्र

कमशः–पेज 03 पर

11— शर्त संख्या 11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

12— शर्त संख्या 12 लागू नहीं। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

13— शर्त संख्या 13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नही बदला जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

14— शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

15— शर्त संख्या 15 के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पंहुचे। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

16— शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रभागीय वनाधिकारी की देख—रेख में दिये गये निर्देशानुसार परियोजना की लागत पर किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

17— शर्त संख्या 17 के अनुपालन में कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

18— शर्त संख्या 18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

19— शर्त संख्या 19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

20— शर्त संख्या 20 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा। संलग्न :— प्रमाण - पत्र

21— शर्त संख्या 21 के अनुपालन में यदि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है का अनुपालन किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

कमशः—पेज 04 पर

22— शर्त संख्या 22 के अनुपालन में परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र मे ंवृक्षों की कटाई नही की जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

23— शर्त संख्या 23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :— प्रमाण—पत्र

24— शर्त संख्या 24 के अनुपालन में सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड़ कर दी गयी है।

संलग्न :- एक प्रति मूल में (40 पृष्ठ)
तीन प्रति फोटोकॉपी

भवदीय,

(इं0 जगदीश सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /13 एम0जी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी, महोदय, टिहरी गढवाल।
2— अधीक्षण अभियन्ता, 8वा् वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी।
3— सहायक अभियन्ता चतुर्थ, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा।

अधिशासी अभियन्ता

वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–01 में निहित शर्त के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–02 में निहित शर्त के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौंपी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रकिया किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–03 (ख) में निहित शर्त के अनुपालन में ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–03 (ग) में निहित शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र ग्राम नवागांव तहसील कण्डीसौड़ ज0वि0र0 खाता खतौनी स0 03 खसरा न0 01 रक्वा 5.925 है0 व खसरा न0 320 म0 रक्वा 0.060 है0 कुल रक्वा 5.985 है0 पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रेंज नई टिहरी

रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–03 (घ) में निहित शर्त के अनुपालन में रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रेंज नई टिहरी

प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–04 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

शुद्व वर्तमान मूल्य में बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–05 (ख) में निहित शर्त के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

वन विभाग को पेडों की कटाई की लागत जमा किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–06 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–प्रस्ताव के अनुसार 378 वृक्ष एवं **187 Saplings** से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे तथा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–08 में निहित शर्त के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार पारित किये गये आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–09 में निहित शर्त के अनुपालन में एफआरए, 2006 से सम्बन्धित निर्धारित प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर से प्राप्त कर लिया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायी जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–10 में निहित शर्त के अनुपालन में आर0ई0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

गति विनियमन साईनेज लगाये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–11 में निहित शर्त के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–12

लागू नहीं।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

परियोजना का ले आउट प्लान नही बदले जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–13 में निहित शर्त के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नही बदला जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० चम्बा
टिहरी गढवाल।

लेबर कैम्प नही लगाये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–14 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

निकटवर्ती वनों को क्षति न पंहुचाये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–15 में निहित शर्त के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पंहुचे।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

सीमांकन किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–16 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में दिये गये निर्देशानुसार परियोजना की लागत पर किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–17 में निहित शर्त के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–18 में निहित शर्त के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

भूमि अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–19 में निहित शर्त के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–20 में निहित शर्त के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित हेतु प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–21 में निहित शर्त के अनुपालन में यदि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है, का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

मलवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–22 में निहित शर्त के अनुपालन में परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र मे वृक्षों की कटाई नही की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

(24)

अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश लागू होने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–23 में निहित शर्त के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 64 / 2017 / एफ.सी. | 13

दिनांक: 04 /04/ 2022

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद– **टिहरी में ढांगधार–थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/21726/2015)**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1067/FP/UK/ROAD/21726/2015 दिनांक 20-09-2017**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार– **जनपद– टिहरी में ढांगधार–थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.98 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कोट, टिहरी गढ़वाल खसरा संख्या 1234,2561,2562,2576,2583 तथा 2596 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
   ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात्

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

घ) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक'प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **2.9925** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 378 वृक्ष एवं 187 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

16. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियां, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/64/2017/एफ.सी. दिनांक: 26 /07/2024

Addendum

विषयः- जनपद- टिहरी में ढांगधार-थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/21726/2020)

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र 8 बी/यू.सी.पी./06/64/2017/एफ.सी./13 दिनांक 04.04.2022 द्वारा Online Proposal no. FP/UK/ROAD/21726/2020 पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

तत्पश्चात् राज्य सरकार के पत्रांक **1991/12-1:** देहारादून दिनांक 18.03.2024 तथा पत्राक **58/12-1:** देहारादून दिनांक 05.07.2024 द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पूर्व अनुमोदित ग्राम-कोट की **5.98** है० सिविल सोयम भूमि के कुछ खसरे वन पंचायत में होने के कारण वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करवाये जाने में प्रयोक्ता अभिकरण असमर्थ है। अतः क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नई सिविल भूमि ग्राम-नवागांव, तहसील कण्डीसौड़ की खसरा संख्या **01** मध्ये रकवा **5.925** है० व खसरा संख्या **320** मध्ये रक्वा **0.060** है० कुल **5.985** है० को प्रकरण के सापेक्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने के उपरांत प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित शर्त संख्या **3 (क)** को तदिनांक से निम्नानुसार पढ़ा जाए:

*"वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर **5.985 है0** सिविल सोयम भूमि ग्राम-नवागांव तहसील कण्डीसौड़ की खसरा संख्या **01** (मध्ये रकवा **5.925** है०) व खसरा संख्या **320** (मध्ये रक्वा **0.060** है०) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।"*

सऍद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र दिनांक 04.04.2022 की शेष सभी शर्तें यथावत् रहेगी।

Signed by Neelima Shah
Date: 26-07-2024 17:30:17

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-

(i) अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(ii) प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

(22)

पत्रांक : 2779/ 12-1 नई टिहरी दिनांक— 06/05/ 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,
चम्बा, टिहरी गढवाल।

(अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, प्राप्ती प.सं. 86, पत्रावली सं. 13m-2, दिनांक 17-05-22, लो0 नि0 वि0 चम्बा)

विषय:— जनपद टिहरी में ठांगधार-थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/21726/2015)

सन्दर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0—08बी/यू0सी0पी0/06/64/2017/एफ0सी0/13, दिनांकः— 04.04.2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड का कार्यालय पत्रांक—2484/FP/UK/ROAD/21726/2015, दिनांक—18.04.2022।

महोदय,

जनपद—टिहरी गढवाल के अर्न्तगत ठांगधार—थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगाः—

1— शर्त सं0—01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

2— शर्त सं0—02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3— शर्त सं0—03—**प्रतिपूरक वनीकरण** :—

क) प्रयोक्ता अभिकरण 5.985 है0 ग्राम कोट, टिहरी गढवाल खसरा नं0—1234, 2561, 2562, 2576,2583 तथा 2596 में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0—**24,41,832.00 (चौबीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ बत्तीस रूपये** मात्र)जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:—

<u>प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि के मांग का आंकलन</u>

1—प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र — 5.985है0
2—वर्ष 2022—23 हेतु निर्धारित दर प्रति है0 — ₹ 407992.00
3—प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि की मांग— ₹5.985है0X40,7,992.00 = 24,41,832.12 या 24,41,832.00
(चौबीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ बत्तीस रूपये मात्र)

ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे में लिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण—पत्र अमल—दरामद मय नक्शा, खसरें के प्रस्तुत करना होगा।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

घ) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक'प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायेगा।

क्रमशः — — 2 — —

30

4— शर्त सं0—04 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण दस वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।

5— शर्त सं0—05—शुद्ध वर्तमान मूल्यः—

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांकः—30—10—2002, 01—08—2003, 28—03—2008, 24—04—2008 एवं 09—05—2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5—1/1998—एफ0सी0 (Pt.2), दिनांकः—18—09—2003, 5—2/2006—एफ0सी0, दिनांकः—03—10—2006 एवं 5—3/2007—एफ0सी0, दिनांकः—05—02—2009 में जारी दिशा—निर्देशानुसार रु0—38,68,854.00 **(अड़तीस लाख अड़सठ हजार आठ सौ चौवन रूपये मात्र)** की धनराशि 2.9925 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार हैः—

<u>शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन</u>

1—ईको—क्लास श्रेणी — V

2—हरियाली का घनत्व— 0.5

3—एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये— 12,92,850.00 (बारह लाख बयान्वे हजार आठ सौ पचास रूपये मात्र)

4—आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल — 2.9925 है0

5—कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि—2.9925है0X12,92,850.00=38,68,853.63 या 38,68,854.00

(अड़तीस लाख अड़सठ हजार आठ सौ चौवन रूपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

6— शर्त सं0—06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 378 वृक्ष एवं 187 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7— शर्त सं0—07 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

8— शर्त सं0—08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश से उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

9— शर्त सं0—09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10— शर्त सं0—10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सडक के दोनो किनारो पर पौंधों की संख्या बढाएगा।

11— शर्त सं0—11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।

12— शर्त सं0—12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

13— शर्त सं0—13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नही बदला जाएगा।

क्रमशः — — 3 — —

(31)

14– शर्त सं0–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15– शर्त सं0–15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत: वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

16– शर्त सं0–16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशनुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward / Backward bearing अंकित हो।

17– शर्त सं0–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।

18– शर्त सं0–18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।

19– शर्त सं0–19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

20– शर्त सं0–20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42 / 2017–एफ0सी0 दिनांक–29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

21– शर्त सं0–21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।

22– शर्त सं0–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।

23– शर्त सं0–23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश / आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

24– शर्त सं0–24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपि:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

(1)

30

—:: आदेश ::—

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग चम्बा टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–1675/13 एम0जी0 दिनांक 01 अगस्त 2024 के पत्र पर उप जिलाधिकारी टिहरी/कण्डीसौड की आख्या के कम में ठागधार–थौलधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	ग्राम का नाम	पट्टी	तहसील का नाम	ज0वि0र0 खाता खतौनी संख्या	खसरा नम्बर	रक्बा हे0में	भमि की श्रेणी
01	02	03	04	05	06	07	08
01	नवागांव	गुसांई	कण्डीसौड़	03	01	5.925 है0	उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ड.
					320म0	0.060 है0	
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल भूमि का योगः–						5.985 है0	

शासनादेश संख्या–2882/XXIII(II)/11-18(120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्या–2365/XXIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतः उप जिलाधिकारी टिहरी/कण्डीसौड की प्राप्त जांच आख्या के कम में ठागधार–थौलधार मोटर मार्ग ग्राम नवागांव, पट्टी गुसांई, तहसील कण्डीसौड़, टिहरी गढ़वाल में स्थित उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ड. की ज0वि0र0 खाता खतौनी संख्या–03 के खसरा नम्बर 01 रक्बा 5.925है0 एवं खसरा नम्बर 320म0 0.060है0 कुल 5.985है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपाण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरिण की जाती है, तहसीलदार कण्डीसौड़ को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0, चम्बा
प्राप्ती प0 सं0 1594
पत्रावली सं0 13 M4
दिनांक 23/9/24

(मयूर दीक्षित),
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 2447/XXVI–11 (2013–2014) दिनांक नई टिहरी 03, सितम्बर 2024।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02– सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
03– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
04– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
05– नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तातरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
06– प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
07– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग चम्बा।
08– उप जिलाधिकारी टिहरी/कण्डीसौड़।
09– तहसीलदार कण्डीसौड़।

श्री सुभम रावत/AE

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

नकल ज० वि० रु० खतौनी नकल फसली वर्ष 1429-1434 ग्राम नवागाँव पट्टी गुसाईं तहसील कण्डीसौड़

श्रेणी-14-(iii) कृषि योग्य बंजर

भूलेख प्रपत्र सं० प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
3	उत्तराखण्ड सरकार	✓	1	5.925		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 247/XXVi (2013-2014) दिनांक 03 सितम्बर 2024 के क्रम मे खेत नम्बर 01 रकबा 5.925 हेक्टर एव खेत नम्बर 320 मि० रकबा 0.060 हेक्टर कुल रकबा 5.985 हेक्टर भूमि क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किया।									
	वर्ग 6 (3)-ङ०		7	0.024											
	कृषि योग्य बंजर		11	0.016											
			xx	xx											
			xx	xx											
		–	320	0.382											
			336	0.011											
			xx	xx											
			xx	xx											
			812	0.008											
			814	0.018											
			xx	xx											
			xx	xx											
			1840	0.030											
			1842	0.474											
			1844	0.647											
			1844/1857	3.061											
			197	56.718		असल से तैयार किया									

29-11-2024
सुरेन्द्र सिंह रावत
रा.उ.नि.क्षे. ....
तहसील—कण्डीसौड़
जनपद—टिहरी गढ़वाल

29-11-2024
सुरेन्द्र सिंह रावत
रा.उ.नि.क्षे. ....
तहसील—कण्डीसौड़
जनपद—टिहरी गढ़वाल

कार्यालय–वन क्षेत्राधिकारी, टिहरी राजि, नई टिहरी।

पत्रांक–444/12-1 ,दिनांक 23/10 /2024।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीचौरी
रजिस्टर नं0 303
फाइल नं0 12-1
दिनांक 4/11/24

द्वाराः उप प्रभागीय वनाधिकारी,रानीचौरी उप वन प्रभाग।

विषयः **जनपद टिहरी में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन! (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/21726/2015)**

सन्दर्भः कार्यालय सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,चम्बा टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–180 / 13 एम0जी0, दिनांक–05.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के क्रम में दिनांक–15.10.2024 को श्री प्रेमलाल डोभाल, अनुभाग अधिकारी मैण्डखाल अनुभाग, राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह रावत व लोक निर्माण विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता श्री नितिन कुमार एवं अमीन श्री अजय सिंह रावत एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पिंकी देवी नवागांव के समक्ष वन भूमि के दुगुने अवनत भूमि पर वृक्षारोपण एवं चयनित सिविल एवं वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त सिविल भूमि ग्राम नवागांव,पट्टी गुंसाई,तहसील कण्डीसौड अमल दरामद 5.985है0 चिन्हित उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ सिविल सोयम भूमि जो ज0वि0र0 खतौनी सं0–03 के खसरा नं0 01 रक्वा 5.925 है0 एवं खसरा नं0 320म0 रक्वा 0.060है0 कुल रक्वा–5.985है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है एवं भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उपरोक्त भूमि को विभागीय कब्जे में लिया गया है।

अतः सूचनार्थ खतौनी की छायाप्रति,अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र चार प्रतियों में महोदय की सेवा में प्रेषित।

<u>संलग्नक</u>– 1. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।
2. राजस्व उपनिरीक्षक की जांच आख्या।
3. खतौनी नकल ।
4. खसरा।
5. नक्शा।
6 अमल दरामद भूमि कब्जे प्रमाण पत्र– चार प्रतियां

U.C
आ0 कार्यवाही
13/11/2024

RN 303/12-1 दि0 11/11/24
मूल में प्र0व0 टिहरी व0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीचौरी उप वन प्रभाग

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी,
टिहरी राजि,नई टिहरी।

G letter 2022 new computer

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 15/10/2024 को गंगाचार- पौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम सभा नवागांव मे जाकर उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-4(3) 5 क खसरा नं०1 रकबा 5.925 व खसरा सं. 320 म० 0.060 हे० कुल रकबा 5.985 हे० ।सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित की गई थी ।जिसको कब्जे मे लेने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया ।जिसमे वन विभाग की ओर से वन दरोगा श्री प्रेमलाल डोभाल वन बीट अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह तथा राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक लवाणी श्री सुरेन्द्र सिंह रावत एवं लो.नि.वि. की तरफ से अपर सहायक अभियन्ता नितिन कुमार एवं अमीन अजय सिंह रावत एवं ग्राम प्रधान नवागांव मौजूद थे।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भूमि का क्षेत्रफल 5.985 हे० है। जिसको पक्षा स्थिति मे वन विभाग के कब्जे मे ले लिया गया है। जो वनीकरण हेतु उपयुक्त है। तथा भूमि का सीमांकन किया जाना अति आवश्यक है। तथा दीवाल बन्दी हेतु उक्त स्थान पर पत्थर उपलब्ध नहीं है।

अत: संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) अमीन लो०नि०वि० चम्बा

(हस्ताक्षर) 15/10/2024 वन दरोगा प्रेमलाल डोभाल अनुभाग

(हस्ताक्षर) AAE PWD Chamba

(हस्ताक्षर) 15-10-2024 रा. उ. नि. लवाणी

(हस्ताक्षर) व.बी.अ. मैण्ड्याल / लालूरी बीट

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत नवागांव) (हस्ताक्षर) पिंकी देवी

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढवाल में ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिला अधिकारी टिहरी गढवाल के आदेश सं0 247/XXVI–11(2013–14),दिनांक 03 सितम्बर 2024 से जारी निर्देश के कम में ग्राम नवागांव,पट्टी गुंसाई,तहसील कण्डीसौड अमल दरामद 5.985है0 चिन्हित उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ सिविल सोयम भूमि जो ज0वि0र0 खतौनी नं0–03 के खसरा नं0 01 रक्वा 5.925 है0 एवं खसरा नं0 320म0 रक्वा 0.060है0 है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कब्जे मे ले ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

वन क्षेत्राधिकारी,
टिहरी राजि,नई टिहरी।

Amal Dramd Pro.

नक्शा छायाप्रति मौजा नवागांव पट्टी रमुण तहसील कण्डीसौड जिला टिहरी गढ़वाल

नक्शा शीट न० 1

N

S

पैमाना 32" = 1 मील

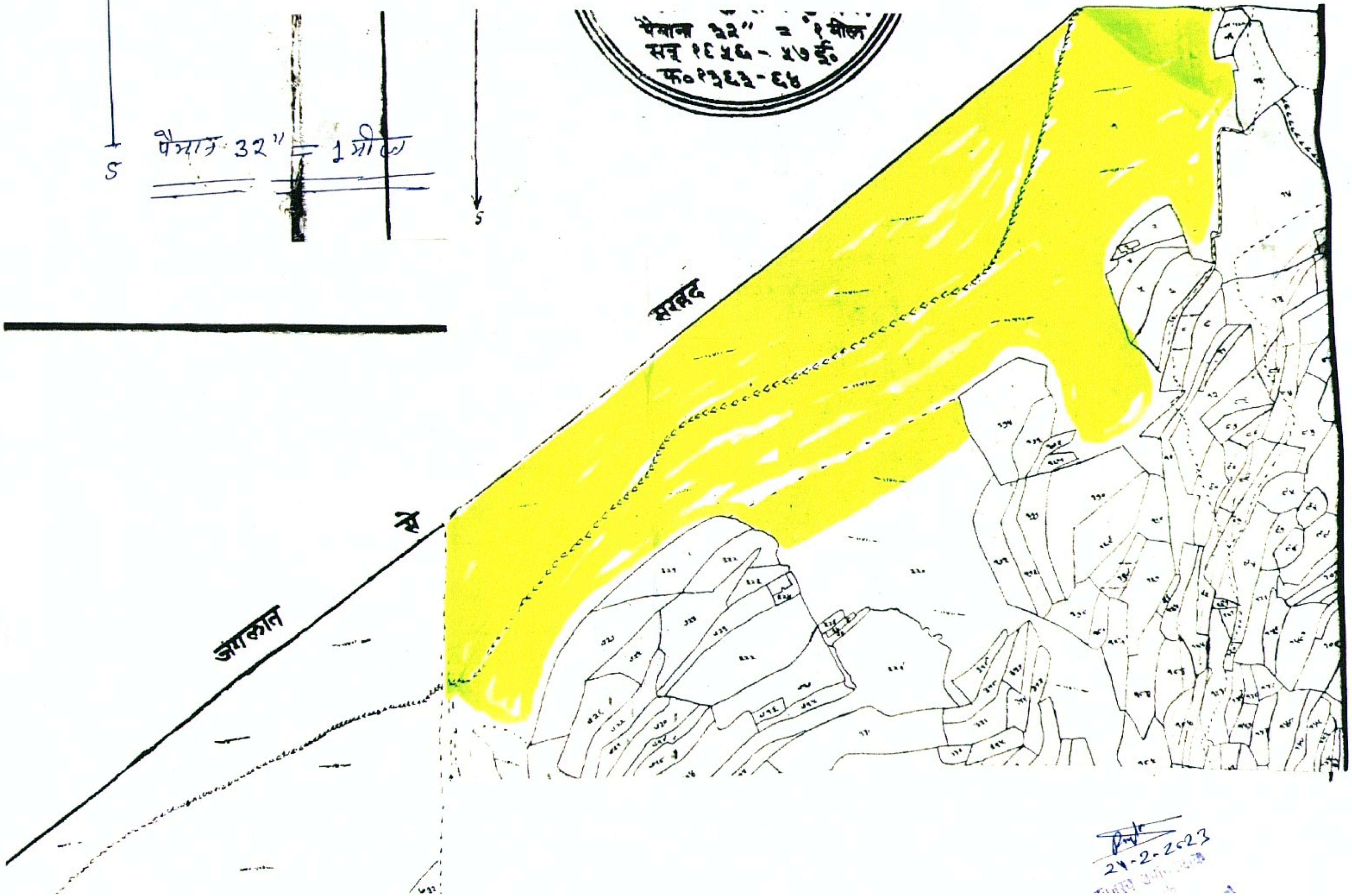

24-2-2023

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-08-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6121726258
State Code.	UK
Address.	Yamuna Colony DehradunDehradun
Amount(in Rs)	6310686/-

Amount in Words :Sixty-Three Lakh Ten Thousand Six Hundred and Eighty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6121726258
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-08-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6121726258
State Code.	UK
Address:	Yamuna Colony Dehradun Dehradun
Amount(in Rs)	6310686/-

Amount in Words :Sixty-Three Lakh Ten Thousand Six Hundred and Eighty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6121726258
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Payment_history.aspx

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

5:01:59 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/21726/2016 Construction of Thangdhar Thauldhar Motor Road	ROAD217262016258	6121726258	04 Apr 2022	**CA:** 2441832/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 3868854/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 6310686/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 16 Jun 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 03 Aug 2022 **Transaction Date** : 05 Aug 2022	Demand Letter Generated Challan

39

o.Proposal Detail	Application_No	(New)	PRINCIPLE	(in Rs.)	Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ ROAD/21726/2016 (../ viewreport.aspx? pid=FP/UK/ ROAD/21726/2016) Construction of Thangdhar Thauldhar Motor Road	ROAD2172620162586	121726258	04 Apr 2022	**CA:** 2441832/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3868854/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 6310686/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 16 Jun 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/ RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 03 Aug 2022 **Transaction Date** : 05 Aug 2022	Demand Letter (../writereaddata/ Fundpdf/140620221517292458_FPUKROAD217262016_User_Fund_Dema Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD217262(

40